पत्रांक–05/बी01–04/2016
बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

राजीव प्रसाद सिंह रंजन,
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक ..../

विषय :– वित्तीय वर्ष–2016–17 में गैरयोजना अन्तर्गत **प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक** के स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष– 02– माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0002–जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, विपत्र कोड संख्या–एन 2202020010002 के अन्तर्गत **प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक** के स्थापना मद में **वित्तीय वर्ष 2016–17** में अंकित राशि रू0 **99,74,000/–(निनानवें लाख चौहत्तर हजार रूपये)** मात्र आपको संलग्न विवरणी के अनुसार अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2 विभागीय पत्रांक–93 दिनांक–13.04.16 द्वारा निरीक्षिका/निरीक्षण/जिला जन शिक्षा कार्यालय का जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के विपत्र कोड–एन 2202020010002 का विलय हो जाने के कारण **प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी** के स्थापना मद के लिए राशि की निकासी की जायेगी।

3. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 (वि0–2), दिनांक–17.04.1998 300(वि), दिनांक–08.05.2009, 423 दिनांक–31.03.2016, 2793 दिनांक–04.04.2016 एवं 4572 दिनांक–03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।

4 प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

7. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतन का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

10. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

11. राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाय।

12. इस राशि से पूर्व बकाया भुगतान किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राजीव प्रसाद सिंह रंजन),
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांकः– 356 पटना, दिनांकः– 28/3/17

प्रतिलिपिः–संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कोषांग/ जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला शिक्षा पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/संबंधित सहायक प्रशाखा–05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राजीव प्र. सिंह रंजन 25/03/2017
(राजीव प्रसाद सिंह रंजन),
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
25.3.17

वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक के स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन।

मॉग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष–001–निदेशक और प्रशासन, उप शीर्ष–0002–जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, विपत्र कोड–एन 2202020010002 के विभिन्न विषय शीर्षो में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों/पदाधिकारियों के वेतन भुगतान एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन।

क्रमांक	आवंटन दिये जाने वाले जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन एवं भत्ते	अभ्युक्ति
	विषय कोड (कूट संख्या)	**01 01**	**01 03**	**01 04**	**01 06**	**01 07**		
1	मधेपुरा	684000	769500	171000	51300	34200	**1710000**	86/10.02.17
2	कटिहार	3281600	3691800	820400	246120	164080	**8204000**	146/23.02.17
3	शिवहर	24000	27000	6000	1800	1200	**60000**	178/03.03.17
	योगः–	**3989600**	**4488300**	**997400**	**299220**	**199480**	**9974000**	

(निनानवें लाख चौहत्तर हजार रूपये) मात्र ।

राजीव प्र. सिंह रंजन 25/03/2017
(राजीव प्रसाद सिंह रंजन),
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

25.3.17